

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (RAS)

देवगढ़

केम्प विजयपुरा

प्र.सं 188/2017 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक 28.05.2018

अनवान

1. श्री देवकीनन्दन पिता मांगीलाल ब्राह्मण नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि.राजसमंद
2. श्री रतनलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण नि. देवगढ़ त. देवगढ़ जि.राजसमंद

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री ताराचन्द पिता कनकमल गांधी नि. देवगढ़ तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
2. श्री पन्नालाल पिता रूपा रेगर नि. सोलंकी दरवाजा के बाहर देवगढ़ तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
3. श्रीशंकरलाल पिता स्व. होजीराम रेगर तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
4. श्री फयाज मोहम्मद पिता अल्ला बक्ष मुसलमान तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

.....विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 111-128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 28.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प विजयपुरा में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षकारान उपस्थित हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

- अ) ग्राम फुकिया का थड प.ह. कामली त.देवगढ़ में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि खाता सं. 1 खसरा नं. 428/157 रकबा 4.10 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 04.10 बिस्वा भूमि स्थित हैं।
- ब) ग्राम फुकिया का थड प.ह. कामली त.देवगढ़ में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि खाता सं. 62/69 खसरा नं. 194 रकबा 1.06, खसरा नं. 195 रकबा 0.16, खसरा नं. 196 रकबा 2.18 बिस्वा, रकबा 197 रकबा 1.14, खसरा नं. 198 रकबा 3.08, खसरा नं. 199 रकबा 17.03, खसरा नं. 323/157 रकबा 3.10 कुल किता 7 रकबा 31.05 भूमि स्थित हैं।
- स) ग्राम संग्रामपुरा प.ह. कामली त.देवगढ़ में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि खाता नं. 23/22 खसरा नं. 234/2 रकबा 4 बिघा कुल 1 रकबा 4 बिघा भूमि स्थित हैं।

उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व पड़ोसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बुवाई तथा कटाई के सीमा सम्बंधित विवाद करते रहते हैं, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थी उसकी भूमिका का


शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में नियत कर। पक्षकारान व विपक्षगण को पुनः सूचना पत्र जारी किये गया परन्तु फयाज मोहम्मद के अलावा सभी अनुपस्थित रहें। यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की नपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम फुकिया का थड प.ह. कामली त.देवगढ़ व ग्राम संग्रामपुरा प.ह. कामली त.देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं० 2067 से 2070 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम फुकिया का थड प.ह. कामली त.देवगढ़ में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि खाता सं. 1 खसरा नं. 428/157 रकबा 4.10 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 04.10 बिस्वा भूमि एवं ग्राम फुकिया का थड प.ह. कामली त.देवगढ़ में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि खाता सं. 62/69 खसरा नं. 194 रकबा 1.06, खसरा नं. 195 रकबा 0.16, खसरा नं. 196 रकबा 2.18 बिस्वा, रकबा 197 रकबा 1.14, खसरा नं. 198 रकबा 3.08, खसरा नं. 199 रकबा 17.03, खसरा नं. 323/157 रकबा 3.10 कुल किता 7 रकबा 31.05 भूमि एवं ग्राम संग्रामपुरा प.ह. कामली त.देवगढ़ में प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि खाता नं. 23/22 खसरा नं. 234/2 रकबा 4 बिघा कुल 1 रकबा 4 बिघा भूमि स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि का पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।


सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद